न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट कन्नौज।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद सं0 643/2025

विमला देवी बनाम विवेक सिंह।

UPKJ010052462025

12.03.2026

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी विमला देवी ने इस आशय का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया कि उसकी साझेदारी की जमीन फततेहपुर जसोदा में सर्विस रोड के किनारे है, जोकि उसका एक मात्र सहारा है। उसके बगल की जमीन विवेक सिंह, राहुल उर्फ शिवम गुप्ता, उपेन्द्र सिंह तोमर, रूपेन्द्र सिंह की है। दिनांक 11.10.2025 समय रात 08:00 बजे करीब उक्त सभी लोग तीन गाडियों से 15 से 20 लोगों के साथ उसके घर आये उस समय वह दरवाजे पर परिवार वालों के साथ बैठी बात कर रही थी उक्त लोग आये और कहे कि साली धुबनिया तू हमारे दुश्मनों का खेत साझेदारी में करे हैं तो उसने कहा कि हम गरीब हैं साझे की जमीन ही हमारा सहारा है तो उक्त लोग कहे कि साझेदारी मत कर तब उसने कहा कि हम अपना सहारा कैसे छोड दे तभी उक्त चारों लोग दरवाजे पर खडे होकर मॉ बहन की गन्दी–गन्दी गालियॉ देने लगे और चारों लोगों ने अपने–अपने हाथ में लिये तमंचे व पिस्टल को निकाल कर उसका अपहरण करने की बात कहकर और यह कहकर कि अपहरण कर ले चलो इसको रात भर के लिये बंधक बना लो या तो सुबह तक ये दुश्मनों से साझेदारी खत्म करने को तैयार हो जायेगी और उसे गाडी में डालने लगे और मारपीट करते हुए गाडी में डाल लिया और सभी ने उसके कान के कुण्डल नोच लिये। उसे अपहरण कर ले जाते देख उसके परिवारिक व आस–पास के लोग दौडे तो उक्त लोग अपने को फंसता देख उसे गाडी से नीचे उतार दिया और कुछ दूरी पर जाकर धमकी दिये कि जमीन में साझेदारी न करना और हम लोग जो कहे वो करो नहीं तो तुझे गांव से भगा दें। वह बहुत डर गयी और वह रात में ही थाना गुरसहायगंज गयी तो वहॉ कहा गया जॉच करेगें फिर रिपोर्ट लिखेगें। वह कई बार थाने गयी परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब उसने एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक कन्नौज को जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। अतः थानाध्यक्ष गुरसहायगंज को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गयी है।

मैंने पत्रावली व थाने की आख्या का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी ने विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया है कि

दिनांक 11.10.2025 समय रात 08:00 बजे करीब विपक्षीगण विवेक सिंह, राहुल उर्फ शिवम गुप्ता, उपेन्द्र सिंह तोमर व रूपेन्द्र तीन गाडियों से 15 से 20 लोगों के साथ प्रार्थिनी के घर आये। प्रार्थिनी घर के दरवाजे पर बैठी थी तो प्रार्थिनी को गाली–गलौज करते हुए जातिसूचक गालियॉ दी एवं मारपीट कर तमंचे दिखाकर उसे गाडी में बैठाकर अपहरण करने की कोशिश की तथा धमकी दी एवं उसके कान के कुण्डल नोच लिये। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण सहित 15 से 20 लोगों का उसके घर के दरवाजे पर आना कहा है और मारपीट किये जाने एवं कान के कुण्डल नोच लेने का कथन किया है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि उक्त विपक्षीगण जो कि 4 लोग हैं और उनके साथ 15 से 20 लोग ओर थे उनके द्वारा प्रार्थिनी के साथ मारपीट की गयी होती तो प्रार्थिनी के गंभीर चोटें आती, परन्तु पत्रावली पर प्रार्थिनी की कोई चिकित्सीय आख्या संलग्न नहीं है।

थाने की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के प्रार्थनापत्र की जॉच की गयी तो पाया कि आवेदिका अपने गॉव के प्रशान्त त्रिपाठी के खेती करने की साजीदार है। प्रशान्त त्रिपाठी के कहने पर आवेदिका ने शिकायती प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रशान्त त्रिपाठी का विपक्षी रूपेन्द्र सिंह आदि से जमीनी विवाद पहले से है। आवेदिका द्वारा पूर्व में माह अक्टूबर 2025 में न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। उक्त विवाद के सम्बन्ध में प्रशान्त के सहयोगी रिषभ सिंह ने थाना हाजा पर मु0अ0सं0 601/2025 धारा 115(2),352,351(3),118(1) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द),(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया है, जो विवेचनाधीन है।

थाने की आख्या से प्रार्थिनी द्वारा वर्णित घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की रजिस्ट्री रसीद दाखिल की गयी है, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह असल नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रकीर्ण वाद 643/2025 विमला देवी बनाम विवेक सिंह आदि अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।
J.O.Code.U.P 1570